

(5) नगा-3595 / 2018/ रीवा / भू-रा०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट रीवा

जिला - रीवा (मोप्र०)



पुष्टेन्द्र तिवारी तनय श्री लालमणि तिवारी निवासी ग्राम मनकहरी तहसील हुजूर
जिला-रीवा (मोप्र०)

निगरानीकर्ता

- अधिकृत जरूरी दस्तावेज़* | ०३.६.१८
विवाह कार्ती इंद्र राज भान सिंह
- 1- श्रीमती मालती सिंह पल्ली धीरेन्द्र सिंह
 - 2- श्रीमती सुधा सिंह पल्ली राजभान सिंह

उपरोक्त दोनो निवासी ग्राम हरिहरपुर (अजगरहा) तहसील हुजूर
जिला-रीवा (मोप्र०)

- 3- मुसो चन्द्रवती तिवारी पल्ली स्व० बसन्तराम तिवारी
- 4- श्रीमती केशकली पल्ली इन्द्रपाल चतुर्वेदी पुत्री बसंतराम तिवारी

उपरोक्त दोनो निवासी ग्राम मनकहरी तहसील हुजूर जिला-रीवा (मोप्र०)

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश
न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त
महोदय रीवा संभाग रीवा
जिला-रीवा मोप्र० के अपीली
प्र०क०-१०/९-अपील-२०१७-१
८ में पारित आदेश दिनांक-२८.
०३.२०१८

निगरानी अंतर्गत धारा ५०
मोप्र०भ०रा०संहिता १९५९ई।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा मोप्र० द्वारा राजस्व अपीली प्रकरण क्रमांक-१०/९-२०१७-१८ में पारित आदेश

पुष्टेन्द्र तिवारी

(६)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकाश क्रमांक निग0-3595/2018/रीवा/भू-रा०

जिला—रीवा

पुष्टेन्द्र तिवारी / श्रीमती मालती सिंह

(1)	(2)	(3)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री जसराम विश्वकर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिशनर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 10/9/अप्रैल/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 07.06.18 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">/ / / सदस्य</p> 	